This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 11 नवम्बर, 2025 / 20 कार्तिक, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 14th August, 2025

No. LLR-E (9)-3/2021-Leg.—Whereas, the following Advocate of District Solan, H.P. has applied for appointment of notary in the place and area mentioned against his name under rule

4 of the Notaries Rules, 1956:—

Sl. No.	Name of Applicant	Area for which he has applied for appointment of Notary
1.	Sh. Raj Kumar Negi, Advocate s/o Late Sh. Devi Singh, r/o Village Johranpur, Post Office Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.)-174103.	Sub-Division Nalagarh, District Solan (H.P.).

Therefore, I undersigned in exercise of the powers conferred *vide* Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 12th August, 2025, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh against his appointment as notary in Sub-Division Nalagarh, District Solan.

Sd/-
(JYOTI RAM CHAUHAN),
Competent Authority,
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Eng.).

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल, शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152
Email:secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Dated, the 11th November, 2025

No. SEC-HP-F002(01)1/2021-4770-81.—Whereas, the Department of Urban Development, Government of Himachal Pradesh *vide* Notification No. UD-A(1)-22/2024, dated 20-12-2024 has included certain areas in Nagar Panchayat Sunni and upgraded the said Nagar Panchayat as Municipal Council;

And whereas, now the Government *vide* Notification No.UD-A(1)-22/2024, dated 24-10-2025 has excluded these areas and downgraded Municipal Council Sunni again as Nagar Panchayat Sunni;

Consequently there is no change in the geographical area of the Nagar Panchayat, Sunni and since the population of the Nagar Panchayat Sunni remains as such as determined in census, 2011 and population figure of census operation 2011 is still in force as required under Section 2(38) of the Act *ibid* and the said figures shall be used for the purpose of reservation in respect of ensuing general elections;

Keeping in view the facts stated hereinabove, the Commission has decided that there is no need to undertake fresh delimitation of wards within territorial jurisdiction of Nagar Panchayat Sunni;

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243ZA of the Constitution of India, Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with Rule 9 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, hereby directs that delimitation of Wards in respect of Nagar Panchayat Sunni as finally notified *vide* Notification No. SEC(13)-91/2020-3716, dated 02-11-2020 shall be treated as final delimitation of Wards for General Elections to Nagar Panchayat, Sunni and the same is hereby re-published in the Official Gazette as per ***Annexure-A***.

By order,

Sd/-
(ANIL KUMAR KHACHI)
State Election Commissioner.

Annexure-A

Nagar Panchayat, Sunni

Ward No.	Ward Name	Extend of Boundaries
1.	Dano Mandir	East-Shimla Mandi Road West-Jungle Kavalpur North-Mast Ram House South-Gratnalha
2.	Upper Bazar	East- Shimla Mandi Road West-House of Het Ram North-From Het Ram House to Vijay Pandit House South- Tehsil Road
3.	School Bazar	East-Shimla Mandi Road West- Jungle Kavalpur North-Shimla Mandi Road Revenue Village Ghrayana chak boundary. South-From House of Mast Ram to Vijay Pandit House
4.	Bhakra Ward	East-Satluj River West-Shimla Mandi Road North-Gharyana chak boundary South-Sohnu House to Veterinary Hospital Tehsil Road
5.	Lower Bazar	East-Gas Godown to Thuntu Ram House West-Shimla Mandi Road Ram Dass Shop to Jawala Prasad North-House of Ram Dass to Thuntu Ram House. South-Bazar Thali Road to Thali Bridge

6.	Hospital Ward	East-Satluj River West-Shimla Mandi Road North- Bazar Thali Road to Thali Bridge. South-Thuntu House to behind the Hospital
7.	Hanuman Mandir	East-Satluj River West-Shimla Mandi Road North-Thuntu House to behind the Hospital South- Gharat Nala to Satluj River

युवा सेवाएं एवं खेल विभाग

प्रारम्भिक अधिसूचना

शिमला–2, 1 नवम्बर, 2025

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उप–धारा (1) के अधीन)

संख्याः वाई0एस0एस–एफ (5)–3 / 2019.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) के अन्तर्गत गांव डोली घराना, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में खेल परिसर के निर्माण के लिए कुल भूमि 7561.06 वर्ग मीटर प्राइवेट भूमि अपेक्षित है।

हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नियम 2015 में उचित प्रंतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) के अर्न्तगत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन स्वतंत्र एजेंसी नामत एम / एस सीबार्ट और एग्रीमा, नई दिल्ली के माध्यम से करवाया गया। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट पत्र संख्या No. SIAU/MSHIPA(MSC-YSS)-2/2025-1895 दिनांक 19–06–2025 को प्रस्तुत की जिसें 23–06–2025 को आम जनता के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर द्वारा प्रकाशित किया गया।

अधिसूचना संख्या वाई0एस0एस–एफ (5)–3 / 2019 दिनांक 09–10–2025 द्वारा उक्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का परीक्षण और उसके लिए सरकार की रिर्पोट प्रस्तुत करने के लिए एक बहुआयामी विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। बहुआयामी विशेषज्ञ समूह ने रिपोर्ट की समीक्षा की और सार्वजनिक प्रायोजन के लिए अपने पत्र संख्या दिनांक 23–10–2025 में भूमि अधिग्रहण की सिफारिश की।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक समाघात निर्धारण और बहुआयामी विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों का परीक्षण किया और भूमि अधिग्रहण का निर्णय लिया गया।

गांव डोली घराना, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में उपरोक्त परियोजना के लिए 7561.06 वर्ग मीटर मानक माप के भूखंड, जिसका ब्यौरा–वार विवरण निम्नानुसार है, अर्जनाधीन हैः––

क्रम संख्या	गांव मोहाल / उप मोहाल का नाम	खसरा नं0	क्षेत्र वर्ग मीटर
	डोली घराना, मौजा कोहला		
1.	श्री सुभाष चन्द	437 / 1	109–51
2.	श्री संजय कुमार		109–51
3.	श्रीमती ब्रहमी देवी		43–80
4.	श्री मनोज कुमार		197–11
5.	श्रीमती कृष्णा देवी		65–70
6.	श्री राकेश कुमार		210–25
7.	श्रीमती करतारो देवी		52–56
8.	श्री केहरू राम		262–82
9.	श्री लाल चन्द		525–64
10.	श्री रमेश कुमार		525–64
11.	श्री कृष्ण चन्द	429, 561 / 430 / 1	440
12.	डी.ए.वी स्कूल	431 / 2, 432, 433 / 2	2844–05
13.	श्री सुनील कुमार	312 / 1	1630–85
14.	श्री तुषार अवस्थी	559 / 430 / 2	543–62
		कुल क्षेत्रफल	**7561–06**

जैसा कि मण्डलायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत आयुक्त और अतिरिक्त जिला उपायुक्त हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को अधिनियम की धारा 3(ए) और 43 के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त किया जाता है ।

चूंकि यह अधिसूचना सम्बन्धित लोगों के लिये अधिनियम की धारा 11 (1) के उपबन्धों के अधीन की जा रही हैः––

1. इन भूमियों में रूची रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे किसी सर्वेयर या अन्य कर्मचारियों को भूमि पर प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने में बाधा या परेशान न करें। समाहर्ता एतद्द्वारा आवश्यक कदम उठाने, भूमि का सर्वेक्षण करने, किसी भूमि का स्तर लेने, उप मिट्टी में खोदने या बोर करने और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन उपबंन्धित और विर्निदिष्ट कार्य के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करने के लिये अधिकृत है।

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन कोई भी व्यक्ति जिसका हित समबन्धित भूमि में निहित है, इस अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भूमि अधिग्रहण के लिये अधिसूचित समाहर्ता को आक्षेप दर्ज करवा सकते हैं।

3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति समाहर्ता की पूर्व अनुमति के बिना इस पूर्णतः या आंशिक भूमि के सम्बन्ध में क्रय / विक्रय, पट्टा, बंधक, नाम परिवर्तन, ऐसी भूमि का विनियम नहीं करें या कोई ऋण भार सृजित नहीं करें।

4. भूमि के नक्शों का निरीक्षण उप–मण्डल अधिकारी (ना0) नादौन, जिला हमीरपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान किया जा सकता है।

5. उपरोक्त भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित होने वाले सम्भावय प्रभावित परिवारों और ऐसे विस्थापन की अनिवार्यता के कारणों की विस्तृत जानकारी इस प्रयोजन के लिए नियुक्त उप–मण्डल अधिकारी (ना0) नादौन हमीरपुर समयानुसार प्रदान करेगा।

आदेश द्वारा,

सचिव,
युवा सेवाएं एवं खेल।

———————————

YOUTH SERVICES AND DEPARTMENT SPORTS

PRELIMINARY NOTIFICATION

Shimla-2, 1st November, 2025

(Under section -11 (1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013)

File No. YSS-F(5)-3/2019.—Whereas, Governor of Himachal Pradesh is satisfied that total private land of 7561.06 Sq. meters is required in the Village Doli Gharana, Mauja Kohla, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh for public purpose, namely construction of the Indoor Multipurpose Sports Complex at Kharidi Ground Nadaun, District Hamirpur under the Right to Fair Compensation & Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (herein after called "the Act").

And whereas Social Impact Assessment (SIA) study was carried out by the Social Impact Assessment (SIA) Unit as required under rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact and Consent) Rules, 2015. The SIA Unit i.e. M/s CIBART AND AGRIMAA, New Delhi submitted its report *vide* letter No.SIAU/MSHIPA(MSC-YSS)-2/2025- 1895 dated 19-06-2025 which was circulated on 23-05-2025 to the general public through Land Acquisition Officer, Nadaun, District Hamirpur.

And whereas, the Multi-Displininary Expert Group under section 7 of the Act was constituted vide this office Notification of even number dated 09-10-2025 to examine the said SIA report and submit its report Multi-Displininary Expert Group examined the SIA and recommended the acquisition of the land for the public purpose *vide* its letter No. HMR/YSS/12(Nadaun)/2022-23- 442 dated 23-10-2025

And whereas, the Government of Himachal Pradesh after examining recommendations of SIA and Expert Group decided to acquire the land as per the land acquired for the purpose:—

Sl. No.	Name of village/ Mohal/Sub Mohal	Khasra Nos.	Area in Sq.mtr.
	Doli Gharana, Mauja Kohla.		
1.	Shri Subhash Chand	437/1	109-51
2.	Shri Sanjay Kumar		109-51
3.	Smt. Brahami Devi		43-80
4.	Shri Manoj Kumar		197-11
5.	Smt. Krishna Devi		65-70
6.	Shri Rakesh Kumar		210-25
7.	Smt. Kartaro Devi		52-56
8.	Shri Kehru Ram		262-82
9.	Shri Lal Chand		525-64
10.	Shri Ramesh Kumar		525-64
11.	Shri Krishan Chand	429,561/430/1	440
12.	D.A.V. School	431/2, 432, 433/2	2844-05
13.	Shri Sunil Kumar	312/1	1630-85
14.	Shri Tushar Awasthy	559/430/2	543-62
Total Area			**7561-06**

And whereas, the Divisional Commissioner, Mandi, Distt. Mandi, HP is appointed as Commissioner under section 44 and Additional Deputy Commissioner Hamirpur, H.P as Administrator under section 3(a) and 43 of the Act;

Now therefore, the notification is made under the provisions of the section 11(1) of the Act to all whom it may concern:—

(i) All the persons interested in these lands are hereby notified not to obstruct and disturb any Surveyor or other staff to enter upon and survey the land. The SDO(C)-*cum*-Land Acquisition Collector, Nadaun, District Hamirpur is hereby authorized to take necessary steps to enter upon conduct survey of land , take levels of any land, dig or bore into the sub soil and do all other acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the said Act.

(ii) Under section 15 of the aforesaid Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in writing to the SDO(C)-cum-Land Acquisition Collector, Nadaun, District Hamirpur for the purpose of this acquisition.

(iii) Under Section 11(4) of the Act, no person without prior approval of the SDO(C)-cum-Land Land Acquisition Collector, Nadaun, District Hamirpur shall make any transaction in respect of whole or part of these lands in whatsoever manner including

by sale/purchase,lease, mortgage, change of name, exchange or creat any encumbrance on such land.

(iv) Plan of the land can be inspected in the office of the SDO(C)-*cum*-Land Acquisition Collector, Nadaun District hamirpur on any working day during the working hours.

By order,

Sd/-
Secretary,
Youth Services & Sports.

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Chamba, District Chamba (H. P.)

Sh. Harish Kumar s/o Sh. Rattan Chand, resident of Village Bari, P.O. Uteep, Tehsil & Distt. Chamba (H. P.)

and

Sapna Kumari d/o Sh. Jaiso Ram, resident of Village Dhima, P.O. Sarol, Tehsil & District Chamba (H. P.).

Versus

The General Public

Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996 (Act No. 21of 1997).

Public Notice

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 24-10-2024 at their place of residence with prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Gram Panchayat Uteep, District Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriage and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 01-12-2025 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 31th day of October, 2025.

Seal. Sd/-,
(PRIYANSHU KHATI, IAS)
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).

In the Court of Tehsildar-cum-**Executive Magistrate Bharmour, District Chamba (H.P.)**

Smt. Prakash Devi s/o w/o d/o Sh. Jeenu Ram, r/o Village Chnaguie, P.O. Khani, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) . . *Applicant*.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of Birth and Death Act, 1969.

Whereas, Smt. Prakash Devi s/o w/o d/o Sh. Jeenu Ram, r/o Village Chnaguie, P.O. Khani, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) has filed affidavit for registration of delayed Birth/Death of his/her *i.e.* 01-07-1951 for further entry in the records of Gram Panchayat Khani, Development Block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances death could not be registered well in time.

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Smt. Prakash Devi d/o Sh. Jeenu Ram	01-07-1951

Hence, this proclamations is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Khani may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand and seal today on this ..... 2025.

Sd/-
Seal. *Tehsildar-cum-Executive Magistrate,*
Bharmour, District Chamba (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायव तहसीलदार) जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र कर्म सिंह, निवासी गांव चन्दरोण, डाकघर कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व श्रीमती रिचा ठाकुर पुत्री श्री रजिन्दर कुमार, निवासी गांव टटरी, डाकघर सुनारा, तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0प्र0 हाल पत्नी श्री संजय कुमार पुत्र कर्म सिंह, निवासी गांव चन्दरोण, डाकघर कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत अप्पर थेहडू, उप–तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.–– प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र कर्म सिंह, निवासी गांव चन्दरोण, डाकघर कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व श्रीमती रिचा ठाकुर पुत्री श्री रजिन्दर कुमार, निवासी गांव टटरी, डाकघर सुनारा, तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0प्र0 ने प्रार्थना–पत्र मय अन्य दस्तावेज पेश करके प्रार्थना की है कि उनका विवाह दिनांक 11–09–2024 को हिन्दु रीति–रिवाज के अनुसार शिव योगी मन्दिर फोकल प्वाईंट लुधियाना में हुई है। लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत अप्पर थेहडू में नहीं करवा सके। जिसे प्रार्थी अब करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री संजय कुमार व रिचा ठाकुर के विवाह दिनांक 11–09–2024 के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 26–11–2025 को पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार पंजीकरण के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 07/M/2025 तारीख पेशी : 27–11–2025

स्वर्णा देवी पुत्री दिवान चन्द, वासी गांव जजर, डाकघर सियालकड़, उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (व हाल पत्नी अनिल कुमार, गांव जंगलू, डाकघर जलाड़ी, तहसील नदौन, जिला हमीरपुर, हि0प्र0। प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.–प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया स्वर्णा देवी पुत्री दिवान चन्द, वासी गांव जजर, डाकघर सियालकड़, उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (व हाल पत्नी अनिल कुमार, गांव जंगलू, डाकघर जलाड़ी, तहसील नदौन, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 ने इस अदालत में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म

दिनांक 06–04–1974 को गांव जजर में हुआ है। परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत न हो सकी। अब वह ग्राम पंचायत धतेड़ के अभिलेख में अपनी जन्म तिथि पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व इलाका मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 27–11–2025 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया की जन्म तिथि 06–04–1974 को ग्राम पंचायत धतेड़ के अभिलेख में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 08/M/2025 तारीख पेशी : 27–11–2025

सैना देवी पुत्री परमानन्द, वासी गांव बल्ह बागडू, डाकघर व उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (व हाल पत्नी जगदीश चन्द, गांव दबकेड़, डाकघर व उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0प्र0। प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषयः– प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया सैना देवी पुत्री परमानन्द, वासी गांव बल्ह बागडू, डाकघर व उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (व हाल पत्नी जगदीश चन्द, गांव दबकेड़, डाकघर व उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 08–11–1973 को गांव बल्ह बागडू में हुआ है। परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत न हो सकी। अब वह ग्राम पंचायत फकेड के अभिलेख में अपनी जन्म तिथि पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व इलाका मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 27–11–2025 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया की जन्म तिथि 08–11–1973 को ग्राम पंचायत फकेड के अभिलेख में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 10/M/2025 तारीख पेशी : 27–11–2025

सोमा देवी पुत्री चौधरी राम वासी गांव बरवाला, डाकघर बलाहरा, उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (व हाल पत्नी परस राम, गांव धमन लाहड़, डाकघर कौना, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषयः– प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया सोमा देवी पुत्री चौधरी राम, वासी गांव बरवाला, डाकघर बलाहरा, उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (व हाल पत्नी परस राम, गांव धमन लाहड़, डाकघर कौना, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 10–04–1953 को गांव बरवाला में हुआ है। परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत न हो सकी। अब वह ग्राम पंचायत जरुण्डी के अभिलेख में अपनी जन्म तिथि पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व इलाका मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 27–11–2025 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया की जन्म तिथि 10–04–1953 को ग्राम पंचायत जरुण्डी के अभिलेख में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 09/M/2025 तारीख पेशी : 27–11–2025

जगदीश चन्द पुत्र सन्त राम, वासी गांव दबकेड़, डाकघर व उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.–प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी जगदीश चन्द पुत्र सन्त राम, वासी गांव दबकेड़, डाकघर व उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 10–12–1970 को गांव दबकेड़ में हुआ है। परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत न हो सकी। अब वह ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में अपनी जन्म तिथि पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व इलाका मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 27–11–2025 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया की जन्म तिथि 10–12–1970 को ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 11/M/2025 तारीख पेशी : 27–11–2025

अवनीत कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, वासी गांव व डाकघर भटावां, उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश बजरिया प्रीतम चन्द पुत्र मस्त राम, वासी गांव व डाकघर भटावां, उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषयः– प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।

नोटिस बनाम आमा जनता।

प्रार्थी अवनीत कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, वासी गांव व डाकघर भटावां, उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश बजरिया प्रीतम चन्द पुत्र मस्त राम, वासी गांव व डाकघर भटावां, उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 26–03–1983 को गांव भटावां में हुआ है। परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत न हो सकी। अब वह ग्राम पंचायत जरुण्डी के अभिलेख में अपनी जन्म तिथि पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व इलाका मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 27–11–2025 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी (अवनीत कुमार पुत्र प्रीतम चन्द) की जन्म तिथि 26–03–1983 को ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा तकसीम हुकमन मिसल नं0 : 13/P/2025 तारीख पेशी : 25–11–2025

सतीश कुमार पुत्र मंगत राम, वासी महाल चौकी, मौजा सिहोरवाला, उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ..... प्रार्थीगण।

बनाम

1. रमेश कुमार पुत्र जौण्डू राम, 2. शशी कान्त पुत्र करतार सिंह, 3. मीना कुमारी विधवा करतार सिंह, 4. विनीत कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, 5. सुनीत कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, 6. रजनी देवी पुत्री प्रकाश चन्द, 7. ओंकार चन्द पुत्र घुंघर राम, 8. रणजीत सिंह पुत्र घुंघर राम, 9. सरला देवी पुत्री घुंघर राम, 10 झुम्बरा देवी विधवा घुंघर राम, 11. तारा चन्द पुत्र गंगा राम, 12. हरबन्स लाल पुत्र गंगा राम, 13. झुम्बरा देवी विधवा गंगा राम, 14. पूर्ण चन्द पुत्र बलन्दा, 15. गीता देवी पुत्री बलन्दा, 16. मुनीश कुमार पुत्र विजय कुमार, 17. राज कुमार पुत्र किहरू, 18. शकुन्तला देवी विधवा किहरू, 19. वीना देवी पुत्री कांशी राम, 20. रेखा देवी पुत्री कांशी राम, 21. बिमला देवी विधवा कांशी राम, 22. अशोक कुमार पुत्र रंगीला राम, 23. तिलक राज पुत्र रंगीला राम, 24. बिधि चन्द पुत्र राणू, 25. ज्ञान चन्द पुत्र राणू, 26. चरन्जी लाल पुत्र राणू, 27. होशियार सिंह पुत्र भगत राम, 28. एस.जे.वी.एन. लिमिटेड, समस्त प्रतिवादीगण वासी महाल चौकी, मौजा सिहोरवाला, उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.––हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 93, खतौनी नं0 134 ता 136, खसरा कित्ता 52, रकबा तादादी 02–77–21 हैक्ट0 जमाबन्दी वर्ष 2021–22, वाक्या

महाल चौकी, मौजा सिहोरवाला, उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना–पत्र।

प्रार्थी ने खेवट नं0 93, खतौनी नं0 134 ता 136, खसरा कित्ता 52, रकबा तादादी 02–77–21 हैक्ट0 जमाबन्दी वर्ष 2021–22, वाक्या महाल चौकी, मौजा सिहोरवाला, उप–तहसील मझीण का दावा भूमि तकसीम हुकमन दायर कर रखा है, जिसमें कुछ प्रतिवादीगणों को साधाराण तरीके से समन तामील न हो पा रहे / हाजिर अदालत न हो रहे हैं। इसलिए तकसीम में 'सुने जाने में मौके' के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए सभी प्रतिवादीगणों को बजरिये राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25–11–2025 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जायेंगे व बाद तारीख पेशी किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 27–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 814416 / 2025 तारीख पेशी : 03–12–2025

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री खोदलू, निवासी महाल चडम्बू, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री रमेश चन्द पुत्र श्री खोदलू, निवासी महाल चडम्बू, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त छिलग के राजस्व महाल चडम्बू, लिहास व रोपा, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम रमेश कुमार दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण–पत्र में उसका नाम रमेश चन्द दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त पटवार वृत्त छिलग के राजस्व अभिलेख चडम्बू, लिहास व रोपा, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में उसके नाम रमेश चंद उपनाम रमेश कुमार दर्ज किया जायें।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–12–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी श्री रमेश चन्द पुत्र श्री खोदलू, निवासी महाल चडम्बू, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त छिलग के राजस्व महाल चडम्बू, लिहास व रोपा, तहसील खुण्डियां के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 47 / तह/2025

मत्तो देवी पुत्री जगदीश सिंह पुत्र रसालो हाल पत्नी श्री कर्ण सिंह, निवासी गांव पलाख, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रत्यार्थी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

मुश्त्री मुनादी / नोटिस।

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थिया श्रीमती मत्तो देवी पुत्री जगदीश सिंह पुत्र रसालो हाल पत्नी श्री कर्ण सिंह, निवासी गांव पलाख, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में ''मत्तो देवी'' दर्ज है जो सही नाम है, जबकि राजस्व अभिलेख महाल पलाख में उनका नाम ''मधूवाला'' अंकित है, जो त्रुटिपुर्ण है। इस कारण उन्होंने अपने नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29–11–2025 को असालतन / वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर / एतराज पेश न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील टापरी,
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश–172104

प्रीती कुमारी पुत्री बलदेव सिंह, निवासी टापरी, डाकघर टापरी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चगाव में जन्म पंजीकरण करने बारे।

आवेदिका प्रीती कुमारी पुत्री बलदेव सिंह, निवासी टापरी, डाकघर टापरी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना–पत्र तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना–पत्र बाबत ग्राम पंचायत चगाव के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत आवेदिका ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। आवेदिका की जन्म तिथि 14–11–1991 है लेकिन ग्राम पंचायत चगाव के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। आवेदिका ने निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 14–11–1991 को ग्राम पंचायत चगाव के अभिलेख में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आवेदिका के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 01–12–2025 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा आवेदिका की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 31–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील टापरी,
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश–172104

पवन कुमार पुत्र बलदेव सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर टापरी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चगाव में जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी पवन कुमार पुत्र बलदेव सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर टापरी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना–पत्र तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना–पत्र बाबत ग्राम पंचायत चगाव के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत पवन कुमार पुत्र बलदेव सिंह ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी की जन्म तिथि 24–03–1998 है लेकिन ग्राम पंचायत चगाव के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 24–03–1998 को ग्राम पंचायत चगाव के अभिलेख में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 01–12–2025 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 31–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश–172104

कुशक पाल पुत्र देव पाल, निवासी ग्राम व डाकघर मीरू, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता ..... फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मीरू में जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी कुशक पाल पुत्र देव पाल, निवासी ग्राम व डाकघर मीरू, उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का एक प्रार्थना–पत्र तहसीलदार निचार स्थित भावानगर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना–पत्र बाबत ग्राम पंचायत मीरू के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत कुशक पाल ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी की जन्म तिथि 04–07–1965 है लेकिन ग्राम पंचायत मीरू के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 04–07–1965 को ग्राम पंचायत मीरू के अभिलेख में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 01–12–2025 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एवं एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 31–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

———————

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
43/2025	27-10-2025	26-11-2025

Smt. Satya Devi d/o Late Sh. Narayanu, r/o Village Toon Badyar, P.O. Chakhar, Tehsil Arki, District Solan, H.P. . . *Applicant*.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Regarding delayed registration of birth event under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Smt. Satya Devi d/o Late Sh. Narayanu, r/o Village Toon Badyar, P.O. Chakhar, Tehsil Arki, District Solan, H.P. has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 along with affidavits and other documents stating therein that she was Born on 10-05-1968 at Village Toon Badyar, P.O. Chakhar, Tehsil Arki, but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Chakhar, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) as per the Non-Availability Certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Chakhar, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that if any person having any objection for registration of delayed birth event of Smt. Satya Devi, may submit their objections in writing in this office on or before 26-11-2025 at 10.00 A.M., failing which, no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 28th day of October, 2025.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Arki, District Solan (H.P.).

———————

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
42/2025	27-10-2025	26-11-2025

Smt. Tara d/o Sh. Shiv Ram, r/o Village Jyavara, P.O. Mnjhoo, Tehsil Arki, District Solan, H.P. . . *Applicant*.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Regarding delayed registration of birth event under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Smt. Tara d/o Sh. Shiv Ram, r/o Village Jyavara, P.O. Manjhoo, Tehsil Arki, District Solan, H.P. has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 along with affidavits and other documents stating therein that she was Born on 15-05-1973 at Village Jyavara, P.O. Manjhoo, Tehsil Arki, but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Palog, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) as per the Non-Availability Certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Palog, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that if any person having any objection for registration of delayed birth event of Smt. Tara, may submit their objections in writing in this office on or before 26-11-2025 at 10.00 A.M., failing which, no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 28th day of October, 2025.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Arki, District Solan (H.P.).

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
44/2025	30-10-2025	29-11-2025

Smt. Reema Devi d/o Sh. Bhandaru Ram, r/o Village Hawani, P.O. Mangal, Tehsil Arki, District Solan, H.P. . . *Applicant*.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Regarding delayed registration of birth event under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Smt. Reema Devi d/o Sh. Bhandaru Ram, r/o Village Hawani, P.O. Mangal, Tehsil Arki, District Solan, H.P. has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was Born on 17-06-1979 at Village Hawani, P.O. Mangal, Tehsil Arki, but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Mangal, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) as per the Non-Availability Certificate No.10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Mangal, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that if any person having any objection for registration of delayed birth event of Smt. Reema Devi, may submit their objections in writing in this office on or before 29-11-2025 at 10.00 A.M., failing which, no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 30th day of October, 2025.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Arki, District Solan (H.P.).

In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Mr. Ajaybir Singh Sodhi s/o Mr. Jasbir Singh Sodhi, r/o Sushma Apartments, Block-B, Flat on 3rd Floor, Village Anji, P.O. Barog Railway Station, Tehsil and District Solan (H.P.) and also resident of V.P.O. Sodhi Nagar, P.O. Sher Khan Wala, District Ferozepur, Punjab, and Ms. Sneh Lata d/o Mr. Sita Ram, r/o House No. 140-P, Sadar Road, Sethi Ice Factory, Ferozepur Cantt. Punjab and w/o Mr. Ajaybir Singh Sodhi, now residing at Sushma Apartments, Block-B, Flat on 3rd Floor, Village Anji, P.O. Barog Railway Station, Tehsil and District Solan (H.P.), have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 27-05-2024 and they have been living as husband and wife ever since then.

And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Ajaybir Singh Sodhi and Mrs. Sneh Lata were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Notice have been served to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties *i.e.* Mr. Ajaybir Singh Sodhi and Mrs. Sneh Lata, they may file their written objections or appear personally or through their authorized agent before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this Court, post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 13th day of October, 2025.

Seal. (Dr. POONAM HPAS),
Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).

CHANGE OF NAME

I, Veer Singh s/o Sh. Twarsi Ram, r/o Village & P.O. Batari, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Ainjal (Previous Name) to Angel (New Name). All concerned please may note.

VEER SINGH
s/o Sh. Twarsi Ram,
r/o Village & P.O. Batari,
Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anjali w/o Anuj Thakur, r/o Village Thana Badhol, P.O. Tundal, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) declare that I have changed the name of my daughter from Kriesha Thakur to Ananya Thakur. All concerned please may note.

ANJALI
w/o Anuj Thakur,
r/o Village Thana Badhol, P.O. Tundal,
Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Shammi Sharma s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Halana, P.O. Bhira, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in school record of my minor daughter, her name is wrongly entered as Nysa Pandit. Whereas her correct name is Nysa Sharma. All concerned please note.

SHAMMI SHARMA
s/o Sh. Jagdish Chand,
r/o Village Halana, P.O. Bhira,
Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Khem Chand s/o Jeet Ram, r/o Village & P.O. Shiva Badar, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) declare that the correct name of my son is Jeeyansh instead of Jeeynash in his Aadhar Card.

KHEM CHAND
s/o Jeet Ram,
r/o Village & P.O. Shiva Badar,
Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Dinesh s/o Sh. Jagar Singh, r/o Village Uncha Tikkar, P.O. Barag, Tehsil Sangrah, Distt. Sirmaur (H.P.)-173023 declare that in my son's Aadhar Card his name is wrongly entered as Sapna, which should be corrected as Abhimanyu. Please correct this.

DINESH
s/o Sh. Jagar Singh,
r/o Village Uncha Tikkar, P.O. Barag,
Tehsil Sangrah, Distt. Sirmaur (H.P.)-173023.

CORRECTION OF NAME

I, Vikrant Thakur s/o Amar Chand, r/o VPO Samor, Tehsil Dharampur, District Mandi (H.P.)-175050 declare that my son's correct name is "Suryansh Thakur". His name has been wrongly recorded as "Surayansh Thakur", which should be treated as incorrect. Henceforth, he shall be known by his correct name as "Suryansh Thakur" only.

VIKRANT THAKUR,
s/o Amar Chand,
r/o VPO Samor, Tehsil Dharampur,
District Mandi (H.P.)-175050.

CORRECTION OF NAME

I, Jeevan Prakash Dogra s/o Sh. Jaisi Ram, r/o Village Bhamloh, P.O. Uhal, Tehsil Bamson at Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in my PAN, my father's name is wrongly entered as Prakash Dogra. Whereas my father's correct name is Jaisi Ram. All concerned please note.

JEEVAN PRAKASH DOGRA
s/o Sh. Jaisi Ram,
r/o Village Bhamloh, P.O. Uhal,
Tehsil Bamson at Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Nirmala Devi w/o Sh. Mata Ram, r/o Village Dewka Purla, P.O. & Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) have changed the name of my minor son Sudhansh Chauhan (Old Name) to Sudhanshu Chauhan (New Name). All concerned please note.

NIRMALA DEVI
w/o Sh. Mata Ram,
r/o Village Dewka Purla,
P.O. & Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anil Kumar Sharma s/o Sh. Rameshwar Dass Sharma, r/o Jyoti Niwas 391/1A, Deonghat, Ward No 1, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Anil Kumar/Anil Sharma to Anil Kumar Sharma. All concerned please may note.

ANIL KUMAR SHARMA
s/o Sh. Rameshwar Dass Sharma,
r/o Jyoti Niwas 391/1A, Deonghat, Ward No 1,
Tehsil and Distt. Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Biasan Devi w/o Sh. Mast Ram, r/o Village Jharet Thakaran, P.O. Jharet Jaggian, Tehsil Dheera, Distt. Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is entered as Vyasa Devi, which is incorrect. That my correct name is Biasan Devi, concerned note.

BIASAN DEVI
w/o Sh. Mast Ram,
r/o Village Jharet Thakaran, P.O. Jharet Jaggian,
Tehsil Dheera, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Anup Chand s/o Kathu Ram, Village Sharachi Lugadi, P.O. Kalhani Dhar, Tehsil Bagachanogi, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar No. 379802752561 my name is wrongly entered as Noop Chand, whereas my correct name is Anup Chand.

ANUP CHAND
s/o Kathu Ram,
Village Sharachi Lugadi, P.O. Kalhani Dhar,
Tehsil Bagachanogi, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rato w/o Sh. Dharo, r/o Village Shalili, P.O. Saho, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Bhupinder to Bhupender for all purposes in future. All concerned please note.

RATO
w/o Sh. Dharo,
r/o Village Shalili, P.O. Saho,
Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Uttam Chand Verma s/o Late Sh. Shakti Chand, r/o Village Panjali Adhialan, P.O. Majoh Sultani, Tehsil Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Verma Uttamchand to Uttam Chand Verma for all purpose in future. All concerned please note.

UTTAM CHAND VERMA
s/o Late Sh. Shakti Chand,
r/o Village Panjali Adhialan,
P.O. Majoh Sultani, Tehsil Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kuldeep Singh s/o Sh. Surat Singh, r/o Village Kinu, P.O. Panog, Sub-Tehsil Ronhat, District Sirmaur (H.P.) have changed the name of my minor son Hanshit Pojta (Old Name) to Harshit Pojta (New Name). All concerned please note.

KULDEEP SINGH
s/o Sh. Surat Singh,
r/o Village Kinu, P.O. Panog,
Sub-Tehsil Ronhat, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Suno Devi w/o Late Sh. Pawan Kumar, r/o Village Arki, P.O. Khani, Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Souno Devi to Suno Devi for all purposes in future. Please note.

SUNO DEVI
w/o Late Sh. Pawan Kumar,
r/o Village Arki, P.O. Khani,
Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Birbal Ram s/o Sh. Sant Ram, r/o Village Chowk, P.O. Dev Brarta, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Divayashnsu Rana to Divanshu Rana for all purposes in future. All concerned please note.

BIRBAL RAM
s/o Sh. Sant Ram,
r/o Village Chowk, P.O. Dev Brarta,
Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rampati w/o Sh. Bhagi Rath, r/o VPO Ramni, Sub-Tehsil Tapri, Distt. Kinnaur (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing no. 544955564179 my name is wrongly entered as Manjit Kaur which should be corrected as Rampati. Please correct this.

RAMPATI
w/o Sh. Bhagi Rath,
r/o VPO Ramni,
Sub-Tehsil Tapri, Distt. Kinnaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Anurudh Rao s/o Prakash Chand, r/o Village Lunadha, P.O. Fatehpur, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Anirudh Rao in Aadhar Card. Now I intend to correct my name as Anurudh Rao in Aadhar Card. Concerned note it.

ANURUDH RAO
s/o Prakash Chand,
r/o Village Lunadha, P.O. Fatehpur,
Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Urmala Devi w/o Sh. Ranjit Singh, r/o Village Dodar, P.O. Rakoh, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Urmila Devi to Urmala Devi for all purposes in future. Please Note.

URMALA DEVI
w/o Sh. Ranjit Singh,
r/o Village Dodar, P.O. Rakoh,
Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Monika Devi w/o Sh. Tarun Kumar Singh, r/o Village Jabal Rashesh (70/837), P.O. Bohli, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Anikate Singh to Aniket Singh. Please note all concerned for further.

MONIKA DEVI
w/o Sh. Tarun Kumar Singh,
r/o Village Jabal Rashesh (70/837),
P.O. Bohli, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Poonam w/o Sh. Thakur Dass, r/o Village Khadoli (717), P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Poonam to Sharda Devi. Please note all concerned for further.

POONAM
w/o Sh. Thakur Dass,
r/o Village Khadoli (717) P.O. Garkhal,
Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Suman Kumar s/o Sh. Bansi Ram, r/o Village Dari, P.O. Dabla, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that I am father of Anirudh Sharma, student of 10th standard at St. Lukes School, my name is writen in school record as Suman Sharma, now I want to amend my name in School record *i.e.* Suman Kumar instead of Suman Sharma, which is true & correct.

SUMAN KUMAR
s/o Sh. Bansi Ram,
r/o Village Dari, P.O. Dabla,
Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sanjeev Bhandari s/o Sh. Sant Ram Bhandari, r/o Village Mashran, P.O. Tharoch (47), Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.)-171210 declare that I have changed my minor daughter's name from Segar Bhndai To Sehar Bhandari. Please note all concerned for future.

SANJEEV BHANDARI
s/o Sh. Sant Ram Bhandari,
r/o Village Mashran, P.O. Tharoch (47) ,
Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.)-171210.

NDH-19-11-2025

IN THE HIGH COURT OF HIMACHAL, PRADESH AT SHIMLA

EMP No. or 2025. in Election Petition No. 3 or 2023.

Sh. Prakash Chaudhary . .*Petitioner.*

Versus

Sh. Inder Singh & others . .*Respondents.*

Notice to:

Resp. No. 2. **Sh. Prem Kumar Son or Sh. Keshave Ram, resident of Village Dhoandi, Post Office Nagchala, Tehsil Balh Mandi, Himachal Pradesh-175 006.**

Resp. No. 3. **Sh. Tara Chand son of Shri Sukhiya Ram, resident of 52/1 K Gauda Gagal, House No. 214, P.O. Gagal, Tehsil Balh, District Mandi, Himachal Pradesh-175 006.**

Resp. No. 4. **Sh. Jiwan Ram son of Shri Lalman, resident of Village Chhatru, Post office Kummi, Tehsil Balh, District Mandi, Himachal Pradesh- 175006.**

Resp. No. 5. **Sh. Sanjay Kumar Surehli son of Shri Kaneehya Lal Surehli resident of Village and Post office Balt, Tehsil Balh, District Mandi, Himachal Pradesh-175 008.**

Resp. No. 6. **Smt. Parvati wife of Shri Tara Chand, resident of 52/1 K Gauda Gagal, House No. 214, P.O. Gagal, Tehsil Balh, District Mandi, Himachal Pradesh-175006.**

Take notice that **Mr. Dibender Ghosh Advocates** on behalf of the petitioner has filed an application on the above mentioned case **under order 23 Rule 1 read with section 151 CPC for withdrawal of the above noted Election Petition** and that the application has been fixed for hearing on the **19th day of November, 2025 (19-11-2025)** and the case (EMP) will be laid before the court on that day.

Notice is hereby given to you to show cause in this Court on the said date as to why the prayer made in the application be not allowed. If no appearance is made on your behalf by yourself this application will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court, this **10th day of November, 2025.**

Seal. Sd/-

Registrar (Judicial).

मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।